

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक 14.02.2022

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	शुभम भारद्वाज कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर निगम कोटा उत्तर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा 2019 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।
2.	पलाश बबलानी कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय अजमेर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा 2019 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।
3.	जगजीत वशिष्ठ कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर	मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायाधीश परीक्षा 2019 के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।
4.	चरण सिंह कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय अलवर	बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 31वी. के साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु।
5.	अयुब खान कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलक्टर, कार्यालय सीकर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।
6.	रमेश बुनकर कनिष्ठ विधि अधिकारी	हौम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, आयुष भवन, जयपुर	राजस्थान सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट भर्ती परीक्षा-2021 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु।

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कार्यरत है तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव